हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख इस हुक्म की कार्यवाही मे जारी हुई।
6-11-2019 वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यो पर मनन किया। प्रकरण के हालात इस प्रकार जाहिर है कि वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी सरहद पांचपदरिया के खसरा नम्बर 332 रकबा 21.12 बीघा किस्म बारानी अव्वल वादीगण की खातेदारी भूमि है। जिस पर खसरा नम्बर 333 के खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 पर काबिज है। खसरा नम्बर 333 की भूमि पर निकटवर्ती खसरा नम्बर 334 के खातेदारान काबिज होने के खसरा नम्बर 332 व खसरा नम्बर 333 के बीच की माठ को हटा कर खसरा नम्बर 332 की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा किया गया है। इसलिए वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 332 में प्रतिवादी संख्या 1 किसी प्रकार की दखल, बाधा, व्यवधान नही करने व वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 332 व 333 के बीच माठ कायम कर पत्थरगढी हेतु आवेदन वादीगण किया गया है। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को सम्मन की तामील कराई गई। बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालातनामा प्रस्तुत कर जवाबदावा व एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त करने हेतु निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत नही करने पर जवाबदावा का अवसर समाप्त किया गया। सरकारी पेरोकार द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात तनकीयात कायम की गई। वादीगण की शहादत के दौरान तुलसाराम व रूगनाथराम के बयान कलमबद्ध किये गये। वकील वादीगण द्वारा वादी की शहादत बन्द करने के निवेदन पर शहादत का अवसर बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा शहादत प्रस्तुत नही करने पर शहादत बन्द की गई। सरकारी पेरोकार द्वारा शहादत प्रस्तुत नही की गई। वकील वादीगण के निवेदन पर बहस अन्तिम सुनी गई। गवाहान वादीगण के बयानो के दौरान वाद के तथ्यो की ताईद कर खसरा नम्बर 332 व 333 की जमाबदी व नक्शा ट्रेस तथा मौका फर्द दिनांक 9.6.15 को प्रदर्शित किया है। गवाह ने अपने कथनो में वादग्रस्त भूमि खसरा नमबर 332 पर खसरा नम्बर 333 के बीच की माठ को प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदार का कब्जा के तथ्य जाहिर किये है तथा प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी आराजी कम होने से खसरा नम्बर 332 की भूमि पर कब्जा किया है। वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 की दखलन्दाजी से रोकने व वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी के बीच की माठ पर पत्थरगढी हेतु निवेदन किया है। गवाह रूगनाथराम ने अपने कथनो में इसी अनुरूप तथ्य जाहिर कर वाद के तथ्यो की पुष्टि कर जमाबदी प्रदर्श–1 व प्रदर्श–2, नक्शा ट्रेस प्रदर्श–3 व मौका फद प्रदर्श–4 को प्रदर्शित कर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 332 व 333 के बीच माठ पर पत्थरगढी हेतु निवेदन किया है। इस प्रकार पत्रावली पर लाये गये तथ्यो अनुसार तनकीयात 'आया वादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम पांच पदरिया के खसरा नम्बर 332 रकबा 21.12 बीघा किस्म बारानी अव्वल भूमि के खातेदार होने से प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है?' इस प्रकार पत्रावली पर लाये गये तथ्यो अनुसार तनकी बहक वादीगण साबित होती है। अतएव तनकी बहक वादीगण साबित होने के फलस्वरूप वादी वादीगण डिकी योग्य होने से वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या	Sd/ उपखण्ड अधिकारी रोहट

Scanned by CamScanner

1 के इस अमर की सादिर की जाती है कि वादग्रस्त आराजी सरहद पांचपदरिया के खसरा नम्बर 332 रकबा 21.12 बीघा किस्म बारानी अव्वल का नाप चौक कर व खसरा नम्बर 332 व 333 के बीच सीमांकन कर, माठ कायम कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार रोहट को आदेश दिये जाते है। प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध इस आशय की निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 332 में वादी के कब्जा काश्त में किसी कदर दखलन्दाजी नही करे व न किसी अन्य के मार्फत करावे। माफिक आदेश पालना हेतु तहसीलदार रोहट को तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो।

Say

उपखण्ड अधिकारी
रोहट

विषय : कृषि
ग्राम

Scanned by CamScanner